न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 38 / 2021

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		1. कपिल कुमार पुत्र पारसमल जाति जैन निवासी जैन न्याती नोहरे की गली, बाड़मेर (मैसर्स एस. के. ट्रेडिंग कम्पनी, कृषि उपज मण्डी बाड़मेर का मालिक) 2. प्यारी देवी पत्नी रतनलाल जाति जैन निवासी शिवकर रोड, हमीरपुरा, बाड़मेर (मैसर्स विरधी चन्द एण्ड संस, जवाहर चौक, बाडमेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री नरपतसिंह चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 31.01.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 09.03.2021 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स एस. के. ट्रेडिंग कम्पनी, कृषि उपज मण्डी बाड़मेर** का निरीक्षण करने पर विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **चाय ब्राण्ड नैच्यूरल (250 ग्राम)** जो कि एक कार्टून में रखी हुई थी, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **250–250 ग्राम के कुल 8 पैकेट चाय ब्राण्ड नैच्यूरल (250 ग्राम)** वास्ते नमूना क्रय की जाकर नमूना संख्या **पी–1328** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **चाय ब्राण्ड नैच्यूरल (250 ग्राम)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला [illegible] खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य [illegible] **ब्राण्ड नैच्यूरल (250 ग्राम)** का नमूना मिथ्याछाप **(Misbranded)** [illegible] जाने पर [illegible] को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] किया। इस पर [illegible] खाद्य सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.11 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया है।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **19.03.2021** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उनके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नही की गई हैं। अप्रार्थीगण को प्रकरण के प्रत्येक स्तर पर जवाब का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया है जो कि अप्रार्थीगण की मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 50,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 31.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.11 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested